न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या :– 43/2015

रामचन्द्र पिता नन्दलाल शर्मा मृतक के बजाय :–
1/1– कला देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र शर्मा निवासी बेगॅ तहसील बेगूँ
1/2– गोपाल शर्मा पिता स्व. रामचन्द्र शर्मा निवासी बेगॅ तहसील बेगूँ
1/3– मनोज शर्मा पिता स्व. रामचन्द्र शर्मा निवासी बेगॅ तहसील बेगूँ
1/4– माया पुत्री स्व. रामचन्द्र शर्मा निवासी बेगॅ तहसील बेगूँ
1/5– सोनू पुत्री स्व. रामचन्द्र शर्मा निवासी बेगॅ तहसील बेगूँ
1/6– आशा पुत्री स्व. रामचन्द्र शर्मा निवासी बेगॅ तहसील बेगूँ

वादीगण

बनाम

1– श्रीमान भूमधारी जी जरिये तहसीलदार बेगूँ
2– राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि श्री जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण
श्री तहसीलदार बेगूँ
पैरोकार राज.सरकार

निर्णय दिनांक :–16.04.2026

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद पत्र इस प्रकार से है कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा बेगूँ तहसील बेगूँ में स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हैक्टर
1	103	0.6880

यह कि वादपत्र की चरण संख्या में अंकित उक्त कृषि आराजीयात वादी को पुश्तैनी रूप से प्राप्त हुई है। उक्त आराजयीत पर वादी के पिता नन्दलाल ब्राम्हण काबिज हो काश्त करते आ रहे हैं। इसी अनुसार वादी पैतृक रूप से उक्त भूमि पर काश्त करता आ रहा है। अन्य किसी दीगर का कोई हक अधिकार उक्त आराजी पर नहीं है। वादी के पिता नन्दलाल पिता सुखानन्द उक्त उक्त वाद पत्र की आराजी संख्या 103 जिसके पुराने नम्बर 1360 पर कब्जा था, जिस पर तत्कालिक न्यायालय तहसीलदार साहब द्वारा दिनांक 26.06.1969 को आदेश पारित कर वादी के पिता को खातेदार काश्तकार घोषित किया था एवं उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेश भी पारित किया था।

यह कि उक्त आदेश के पुराने आराजी नम्बर 1362, 1364 पर वादी के पिता को खातेदारी काश्तकारी घोषित कर दिया था एवं इस अमल दरामद का नामान्तरण गत सेटलमेन्ट के इन्तकाल नम्बर 498 में दर्ज रिकोर्ड होकर लगातार चला आ रहा है। लेकिन आदेश दिनांक 26. 09. 1969 कीता पालना में खोले गये उक्त इन्तकाल में पुराने आराजी संख्या 1360 जिसके नये नम्बर 103 पर सेटलमेन्ट

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अधिकारियो एवं राजस्व कर्मचारियो की गलती से उक्त आराजी नम्बर का इन्द्राज खातेदारी में करने से रह गया, लेकिन उक्त आराजीयात पर कब्जा आज भी निर्बाध रूप से वादी का चला आ रहा है।

यह कि दिनांक 05.03.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 अपने अधिनस्थो के साथ मौके पर आये व वादी को कब्जा हटाने की कहा एवं कहा कि उक्त आराजी नम्बर 1360 आपकी नही है हमारी है तुम उक्त भूमि से अपना कब्जा व दखल हटा देना। इस पर वादी ने मौके पर ही प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिनांक 26.09.1969 की प्रति दिखाई तो भी प्रतिवादी संख्या 1 नही माने एवं वादी को बेदखल करने की धमकी दी। इस प्रकार वाद कारण दिनांक 05.03.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को उसके कब्जे काश्त की पुश्तैनी कृषि आराजी से बेदखल करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रतिवादीगण लोक सेवक होकर राज्य सरकार है इनके विरूद्ध वाद प्रस्तुती से पूर्व दफा 80 जा.दी. का सूचना पत्र प्रेषित करना आवश्यक है। अगर वादी उक्त कानूनी कार्यवाही करता है तो उसमें लम्बा समय लगेगा तब तक प्रतिवादीगण वादी को अपनी पैतृक कृषि आराजी से बेदखल कर देगें। इसलिए वाद पत्र के साथ दफा 80 (2) का प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति पेश है।

यह कि प्रतिवादी संख्या संख्या 2 राज्य सरकार होकर वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से इन्हें वाद में पक्षकार बनाया गया हैं। वादपत्र अन्दर अवधि एवं वर्णित आराजीयात कस्बा बेगूँ में स्थित होने से वादपत्र का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय आप में निहित है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान आपसे निम्न अनुतोष की प्राप्त करने का वैद्य अधिकारी है :–

1– यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी जिसके वर्तमान आराजी संख्या 103 रकबा 0.6880 हैक्टर है एवं पुराने नम्बर 1360 है वादी को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान करायी जावें।

2– यह कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित कृषि आराजी जिस पर वादी पैतृक रूप से काबिज हो वादी की निजी है पर से वादी को न तो स्वयं बेदखल करे न ही अपने किसी अधिनस्थ नौकर, ऐजेन्ट से करावें।

3– यह कि दौराने वाद प्रतिवादीगण जबरन राजकीय ताकत के बल पर वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित भूमि से बेदखल कर देते है तो पुनः वादी को कब्जा सिपुर्द कराये जाने की आज्ञप्ति प्रदान करावें।

4– यह कि वकील मेहनताना व खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

5– यह कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावें।

वादी वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार बेगूँ पैरोकार सरकार की ओर से न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र की सभी वाद कलम को अस्वीकार करते हुए जवाब वाद के विशेष कथन में अंकित किया है कि निवेदन है कि ग्राम बेगूँ की आराजी संख्या 103 रकाब 0.6880 हैक्टर भूमि किस्म रास्ता गैरमुमकिन राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि होने से वादी के खातेदारी में दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्न लिखि तनकी पत्र पृथक से तैयार किया जाकर पत्रावली में शामिल पत्रावली किया गया:—

1— आया कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात मौजा बेगूँ पटवार हल्का बेगूँ में स्थित है। जिसकी खसरा संख्या 103 रकबा 0.6880 हैक्टर जिसके पुराने नम्बर 1360है उक्त भूमि को वादी अपनी खातेदारी में घोषित करा पाने के अधिकारी है साथ ही प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकार वादी रखते है तथा दौराने वाद प्रतिवादीगण जबरन राजकीय ताकत से कब्जा वादी की भूमि पर करले तो वादी पुनः कब्जा पाने के अधिकारी है?

.....वादी

2— आया कि ग्राम बेगूँ की आराजी नम्बर 103 रकबा 0.6880 हैक्टर भूमि किस्म रास्ता गैर मुमकीन राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि धारा 16 के अंतर्गत प्रतिबाधित होने से वादी को खातेदारी दिया जाना न्यायोचित नहीं है?

3— दादरसी ?

.....प्रतिवादी

वादपत्र में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादी की ओर से वादी रामचन्द्र पिता नंदलाल शर्मा का साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा गवाह लक्ष्मीनारायण पिता कंवरलाल मीणा का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। मुख्य परीक्षण में वादी रामचन्द्र ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र पर दावा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श करते हुए जिरह में बताया कि आराजी संख्या 103 के पुराने नम्बर 1360 जो मिलान खसरा से स्पष्ट है जिसमें गेर मुमकिन रास्ता दर्ज है। यह कहना सही है कि मौजा बेगूँ के पुराने आराजी संख्या 1360 भूमि के वादी के नियमन की हुई है। वादी गवाह लक्ष्मीनारायण में ने मुख्य परीक्षण के वक्त अपनी जिरह में बताया कि दावा रामचन्द्र ने लगाया है वह मेरे कुछ नही लगते है, यह जमीन रामचन्द्र जी की है मे जानता हूँ यह कहना सही है कि जमीन के नम्बर मुझे याद नहीं है। जिस जमीन का दावा लगाया है वह थाने व स्कूल के पीछे है। वर्णित जमीन के पुराने व नये नम्बर मुझे याद नहीं है।

इस प्रकार वादीगण की आरे से प्रस्तुत साक्ष्य पूर्ण होने पर साक्ष्य वादी की बंद की गई। पत्रावली में प्रतिवादी सरकार को साक्ष्य प्रस्तुत करने के समुचित अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2025 को साक्ष्य प्रतिवादीगण की बंद किये जानें के आदेश दिये गयें।

पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने पर दावा पत्र पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। बहस में अधिवक्ता वादीगण की ओर से वाद पत्र के अनुसार ही अपनी बहस को निवेदन करते हुए मौजा बेगूँ की आराजी संख्या 103 रकाब 0.6880 हैक्टर भूमि को वादीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन करते हुए प्रस्तुत रिकोर्ड वादी के पक्ष मे होने का कथन किया है।

प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित तहसीलदार बेगूँ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया है कि उनके द्वारा जो दस्तावेज पत्रावली मे प्रस्तुत किये गये है उनके अनुसार वर्णित भूमि गैरमुमकिन रास्ता की भूमि है जो कि धारा 16 अंतर्गत बाधित भूमि है जिसे वादी के खातेदारी में घोषित किया जाना न्यायोचित नहीं है। दावा वादी का खारिज फरमाया जावें।

दावा पत्रावली में उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाने के पश्चात हमारे द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को गहन अवलोकन किया गया, तथा उन

मनन भी किया गया, सभी दस्तावेज के गुणावुण के आधार पर पत्रावली में कायम की गई तनकी पत्र अनुसार इन सभी दस्तावेज का उल्लेख करते हुए निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– तनकी नम्बर 1 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का है। वादी द्वारा पत्रावली में जो नकल जमाबंदी मौजा बेगूँ की संवत 2067 से 2070 की प्रस्तुत की है उसमें दर्ज आराजी संख्या 91मी, 92मी, 93, 93, 94, 95, 96मी., 1964/96 कुल कीता–7 कुल रकबा 2.3300 हैक्टर भूमि के खातेदार रामचन्द्र पिता नन्दलाल ब्राम्हण सा.देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी में आराजी संख्या 96 की 0.014 हैक्टर भूमि व 96मी की रकबा 0.014 हैटर भूमि कृषि से अकृषि आबादी हेतु न.पा. बेगूँ के नाम दर्ज करने की स्वीकृति का नोट अंकित हैं। इस जमाबंदी से स्पष्ट होता है कि जिस आराजी संख्या 103 रकबा 0.6880 हैक्टर के लिए वादी यह दावा लाये है वह वादी के नाम दर्ज भूमि नहीं है। पत्रावली में ही प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा बेगूँ की संवत 2067 से 70 जो राज.सरकार के नाम पर दर्ज भूमि का अंकन उक्त जमाबंदी में अंकित में ही आराजी संख्या 103 रकाब 0.6880 हैक्टर भूमि जिसकी किस्म रास्ता अंकित है दर्ज है, प्रदर्श–2 नकल नक्शाद्रेस है जो कि आराजी नम्बर 104, 105, 106, 107, 131, 132, 138, 95, 96, 100, 101, 102, 2002/99 का है इसके बीच में जो रास्ता दर्शाया गया है उसके आराजी संख्या 103 नक्शे में अंकित किये गये है।

पत्रावली में प्रदर्श–3 जो प्रस्तुत किया गया है वह तहसीलदार बेगूँ के द्वारा प्रकरण संख्या 620/68 में निर्णय दिनांक 26.06.1969 का खत है जिसमें श्री नंदराम पिता सुखानंद ब्राम्हण के नाम पर बेगूँ की गत कृषि आराजी संख्या 1356/2, 1360/2, 1362/1, 1364 व 1400 दर्ज किये जाने का आदेश है। तहसीलदार के निर्णय में आराजी संख्या 1362/2 रकाब 07 बिस्वा भूमि पर गैरसायल को अतिक्रमणकारी घोषित कर कुल लगान 0.6 पैसा 15 वर्ष के 94 पैसे से 10गुना 9.40 पैसा जुमाना भूमि से बैदखल के आदेश दिये गये है। पत्रावली में प्रदर्श–5 व प्रदर्श–6 भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग की नकल है, जिसमें दर्ज आराजी संख्या 103 के गत आराजी नम्बर 1360 होकर उक्त भूमि गेरमुमकिन रास्ता में अंकित है। पत्रावली में तहसीलदार बेगूँ द्वारा भी तहसीलदार के निर्णय दिनांक 26.09.1969 की छायाप्रति व नामानतरण संख्या 498 की प्रति प्रस्तुंत की है उसमें भी बिलानाम भूमि आराजी संख्या 1359, 1362 व 1364 मी को ही नंदलाल पिता सुखानंद के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश दिया है जिसमें नोट अंकित मि.नं. 920/68 से दर्ज करने की मंजुरी हुई है। व अन्य जमाबंदी में आराजी संख्या 1360 रकबा 1बीघा 10 बिस्वा भूमि हायर सेकण्डरी स्कूल के नाम दर्ज होने का अंकन हैं। भू–प्रबंध विभाग की नकल जमाबंदी संवत 2028 में भी आराजी संख्या 103 रास्ता जयनगर रकबा 4बीघा 5बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है। अन्य दस्तावेज नक्शा गत सैटलमेन्ट का एवं वर्तमान नक्शा आदि का भी हमारे द्वारा गहन अवलोकन किये जाने पर पाया कि वादी द्वारा मौजा बेगूँ की आराजी संख्या 103 रकबा 0.6880 हैक्टर भूमि जो कि अपने नाम पर घोषणा कराने की दाद चाही है जबकि आराजी संख्या 103 रकबा 0.6880 हैक्टर भूमि जो कि गैरमुमकिन रास्ता वक्त सैटलमेन्ट से ही दर्ज चला आ रहा है, तथा रास्ता भूमि धारा 16 से प्रतिबंधित भूमि है जिसको किसी भी काश्तकार के नाम पर घोषित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज से आराजी संख्या 103 रकबा 0.6880 हैक्टर भूमि को वादी अपने नाम घोषित

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

करा पाने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। साथ ही वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी भी नहीं पाये जाते है, क्यो कि दस्तावेज साक्ष्य से वादीगण का वाद पत्र सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

2– तनकी नम्बर 2 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पैरोकार सरकार है। जैसा कि तनकी नम्बर 1 का निर्णय जो कि पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज के उल्लेख के साथ उनके गुणवगुण के आधार पर करते हुए तनकी नं. 1 जो कि वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है, क्यो कि वादीगण द्वारा वाद पत्र में चाही गई मौजा बेगूँ की आराजी संख्या 103 रकबा 0.6880 हैक्टर भूमि की घोषणा चाही थी जो कि भू–प्रबंध सेटलमेंन्ट के समय से ही बिलानाम गैरमुमकिन रास्ता भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चली आ रही है, साथ ही रास्ता भूमि जो कि धारा 16 से प्रतिबंधित भूमि होती है उक्त भूमि को किसी भी काश्तकार के नाम पर घोषित करना न्यायोचित नहीं होता है। हम तहसीलदार बेगूँ के जवाब से सहमत है। इस प्रकार तनकी नम्बर 2 बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णित की जाती हैं।

वादपत्र में कायम की गई तनकीयात जो कि प्रस्तुत सभी दस्तावेज के अनुसार वादीगण के विरूद्ध निर्णित होने से वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाने यौग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वाद पत्र एतद द्वारा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या ::– 43/2015

रामचन्द्र पिता नन्दलाल शर्मा मृतक के बजाय :–
1/1– कला देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र शर्मा निवासी बेगॅ तहसील बेगूँ
1/2– गोपाल शर्मा पिता स्व. रामचन्द्र शर्मा निवासी बेगॅ तहसील बेगूँ
1/3– मनोज शर्मा पिता स्व. रामचन्द्र शर्मा निवासी बेगॅ तहसील बेगूँ
1/4– माया पुत्री स्व. रामचन्द्र शर्मा निवासी बेगॅ तहसील बेगूँ
1/5– सोनू पुत्री स्व. रामचन्द्र शर्मा निवासी बेगॅ तहसील बेगूँ
1/6– आशा पुत्री स्व. रामचन्द्र शर्मा निवासी बेगॅ तहसील बेगूँ
.....वादीगण

बनाम

1– श्रीमान भूमधारी जी जरिये तहसीलदार बेगूँ
2– राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि श्री जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
.....प्रतिवादीगण

निर्णय डिक्री वाद पत्र अ0धा0 88–188 राज0काश्त0अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा एवं में तथा प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूँ की उपस्थिती में वाद अ.धा. 88–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 16.04.2026 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है:–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वाद पत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 16.04.2026को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ